राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 3/2021

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/18

दायर दिनांक– 04.01.2021

निर्णय दिनांक– 04.01.2024

1. रामदेव पुत्र जेठा जाति मेघवाल नि0 ग्राम करकेड़ी
2. बीरमाराम पुत्र जेठा जाति मेघवाल नि0 ग्राम करकेड़ी हाल नि0 खेड़ी खींवसी तह0 परवतसर
3. सीता देवी पुत्री जेठा जाति मेघवाल नि0 हाल बागोट तह0 परबतसर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. सूजाराम पुत्र जीवण
2. रामकरण पुत्र जीवण
3. कानाराम पुत्र जालूराम
4. हरकरण पुत्र नारायण
5. कालूराम पुत्र हरदीन
6. प्रेमराज पुत्र मानाराम

सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम करकेड़ी तहसील रूपनगढ

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री प्रेमप्रकाश अधि0 प्रार्थीगण

2 श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 अप्रार्थी संख्या 1 से 6

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण की संयुक्त अधिकार, खातेदारी, कब्जे–काश्त की कृषि आराजी ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ स्थित ख0न0 1662/981 रकबा 0.0080 है0, ख0न0 1663/981 रकबा 0.8494 है0 अवस्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अवैध, अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा था। जिसके बाबत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अधीन प्रकरण संख्या 1/2020 बीरमाराम बनाम सूजाराम उनवान से पंजीबद्ध होकर दिनांक 26.11.2020 को प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश होकर उक्त भूमि का दिनांक 15.12.2020 को कब्जा संभलाया था। प्रार्थीगण को कब्जा संभलाने से रूष्ट होकर अप्रार्थीगण प्रार्थी संख्या 1 को यह धमकी देकर गये है कि तहसीलदार रूपनगढ द्वारा कब्जा संभलाया गया है किन्तु वे प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देंगे व बलात् बेदखल कर देंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel

Date: 2024.01.11 13:24:24 IST

Reason: SelfAttested

04/01/24

उपखण्ड अधिकारी

रूपनगढ़ (अजमेर)

यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करेंगे व प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे। वकील प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे उक्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे व प्रार्थीगण को बलात् बेदखल नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया। अतः उनका जवाब बन्द किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे, काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण को हक अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थीगण कमजोर वर्ग से है इसलिए अप्रार्थीगण उनको बलात् बेदखल करने का प्रयास करते है। अतः प्रार्थीगण को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने व उनको बलात् बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

04/01/24

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:24 IST
Reason: SelfAttested